

13.07.21

1 नल्य  
बार-बार आवाज दिलवाये जाने के उपरान्त भी न अपीलान्त न अधिवक्ता अपी. उपास्थित आये पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली लम्बे समय से सम्मन घेय करने वावत और कारं रही आ डिग्री तक सम्मन घेय नही किये। अतः पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी न अदम तकमील से रवालिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार छेकर नम्बर से कम की जाकर बाद जाया कारियल दफतर है।

सुप्रीम कोर्ट  
न  
सुप्रीम कोर्ट न्यायिक  
दफतर न्याय-दीव